U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
COLLECTORATE, DIU.

No. 65-01-LAQ/2018-19/1147 Dated 24/10/2019

DECLARATION

WHEREAS, vide Preliminary Notification No. 65-01-LAQ/2018-19/2490 dated 07/01/2019, it was Notified under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, that the land described in the schedule here to (there after referred to as the said land) were needed or likely to be needed for the public purpose, namely for the purpose of **Beautification of Jogging Track along main road at Ashok Nagar, Ghoghla, Diu District.**

AND WHEREAS, as required under sub section (2) of section 15 of the Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. A report was submitted to the Government Authority i.e. Hon'ble Administrator of Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli for proceeding with acquisition process and the same has been approved by the Appropriate Government i.e. Hon'ble Administrator of Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli.

AND WHEREAS, the UT Administration of Daman & Diu is satisfied on the basis of the Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, that the Rehabilitation and Resettlement Scheme shall not be applicable because there is no displacement of family/families due to the proposed acquisition process.

NOW, THEREFORE, it is hereby declared under the provision of Section 19 of the Land Acquisition & Rehabilitation Act that the said lands are required for the public purpose, namely for the purpose of Beautification of Jogging Track along main road at Ashok Nagar, Ghoghla, Diu District.

The Land Statement and Plan can be inspected in the office of the Collector, Diu District during the office hours.

SCHEDULE OF LAND

U. T. :	UT of Daman & Diu
District :	Diu
Village :	Ghoghla, Diu
Approximately area:	24.00 Sq. Mtrs.
Purpose :	Beautification of Jogging Track along NH-251 at Ashok Nagar, Ghoghla, Diu

Continue......2/-

DETAILS OF THE LANDS

Sr. No.	Name of Village	PTS No.	Name of Owner	Class of land	Area of land acquired in (Sq. Mtrs.)
1	2	4	3	5	6
1	Ghoghla	34/10	Smt. Velubai Harji	Residential	24.00
			Total land to be acquired		**24.00**

Total acquired land admeasuring : 24.00 Sq. Mtrs.

Total Government land admeasuring : -Nil-

Grand Total acquired land under RTFCTLARR : 24.00 Sq. Mtrs.

24/10/19

(Saloni Rai)
Land Acquisition Collector,
Diu

To,

The All persons interested in lands.

Copy to:

1. The Deputy Director of Planning and Statistics, Daman with a request to publish in the Official Gazette and supply copies of the Gazette to this office.
2. The Field Publicity Officer, Diu with a request to publish in two local News Papers in Local Language.
3. The DIO, NIC, Diu with a request to upload on official Website.
4. The Executive Engineer, PWD, Diu.
5. The Mamlatdar, Diu with a request to keep on notice board and to keep at prominent places at Ghoghla and also requested to serve upon the persons interested in lands through the concerned Talathi.
6. The Block Development Officer, Diu with a request to serve upon the all Gram Panchayats, Diu for wide publicity.

संघ प्रदेश दमण एवं दीप प्रशासन

समाहर्तालय, दीव

संख्या. 65-01-भूमि अधि/2018-19/1147 दिनांक 24/10/2019

घो ष णा प त्र

जबकि पहले जारी की गई अधिसूचना संख्या **65-01-LAQ / 2018-19 / 2490**, दिनांक **07/01/2019** के तहत उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण की पारदर्शिता, पुनर्वास एवं विस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत यह अधिसूचित किया गया था कि इस अनसूची में उल्लिखित भूमि (इसके बाद उक्त भूमि के रूप में संदर्भित) की जरूरत थी या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्थात् दीव जिला के घोघला स्थित अशोकनगर के मुख्य सड़क के किनारे जोगिंग ट्रैक के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से जरूरत होने की संभावना थी ;

और जबकि उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की पारदर्शिता, पुनर्वास और विस्थापन अधिनियम, **2013** की धारा **15** की उप धारा **(2)** के तहत यह आवश्यक है । इस मामले में सरकारी प्राधिकारी यानी दमण और दीव एवं दादरा नगर हवेली के माननीय प्रशासक को अधिग्रहण प्रक्रिया हेतु कार्रवाई संबन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एवं सक्षम प्राधिकारी अर्थात् माननीय प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है ।

और जबकि संघ प्रदेश दमण एवं दीव उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की पारदर्शिता, पुनर्वास और विस्थापन अधिनियम, 2013 के आधार पर संतुष्ट है कि प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पडेगा, इसलिए इस मामले में पुनर्वास एवं विस्थापन स्कीम लागू नहीं होगी।

इसलिए अब भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान के तहत यह घोषित किया जाता है कि अशोक नगर, घोघला, दीव में मुख्य सड़क के किनारे जॉगिंग ट्रैक के सौंदर्यीकरण के लिए उक्त भूमि सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवश्यक है ।

भूमि के निपटान और नक्शा का समाहर्ता कार्यालय, दीव में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है ।

भूमि की अनुसूची

संघ प्रदेश	संघ प्रदेश दमण एवं दीव
जिला	दीव
गॉव	घोघला, दीव
आनुमानिक क्षेत्र	24.00 वर्ग मीटर
उद्देश्य	अशोक नगर, घोघला, दीव में राष्ट्रीय राजमार्ग-251 के किनारे जॉगिंग ट्रैक का सौंदर्यीकरण

भूमि का विवरण

क्रम संख्या	गाँव का नाम	प्लॉट सर्वे संख्या	मालिक का नाम	भूमि की श्रेणी	अधिग्रहित भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	घोघला	34/10	श्रीमती बेलुबाई हरजी	आवासीय	24.00
अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि					24.00

अधिग्रहित भूमि का कुल परिमाप 24.00 वर्ग मीटर

कुल सरकारी भूमि का परिमाप - शून्य -

उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण की पारदर्शिता, पुनर्वास एवं विस्थापन 24.00 वर्ग मीटर

(सलोनी राय)
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर,
दीव

सेवा में,

भूमि से संबन्धित सभी हितार्थी व्यक्ति ।

प्रतिलिपि :

1. उप निदेशक, योजना एवं सांख्यिकी, दमण को इस अनुरोध के साथ कि इस सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए राजपत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें ।
2. क्षेत्र प्रचार अधिकारी, दीव को इसे दो स्थानीय समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित ।
3. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान कार्यालय, दीव को इसे सरकारी वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु अनुरोध सहित ।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दीव ।
5. मामलतदार, दीव को इस अनुरोध के साथ कि दसे नोटिस बोर्ड पर एवं घोघला के प्रमुख स्थलों पर पदर्शित करें तथा संबन्धित तलाटी के जरिए इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को प्रदान करें ।
6. खण्ड विकास अधिकारी, दीव को इस अनुरोध के साथ कि साभी ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार के लिए प्रदान करें ।

~~~~~~~
~~~~~~~